



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 796]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2016/कार्तिक 25, 1938

No. 796]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016/KARTIKA 25, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2016

सा.का.नि 1073(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (31वां संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 12घ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"12ड धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन विहित प्राधिकारी.—धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन विहित प्राधिकारी ऐसे आय-कर प्राधिकारी होंगे जो आय-कर अधिकारी की पंक्ति से नीचे के न हों जिन्हें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा धारा 143 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए आय-कर प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।"

[अधिसूचना सं. 105 /2016/फा. सं. 142/8/2014-टीपीएल]

डॉ. टी. एस. मपवाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. 1068(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2016

G.S.R. 1073(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-section (2) of section 143 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (31st Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 12D, the following rule shall be inserted, namely:-

“12E. Prescribed authority under sub-section (2) of section 143.—The prescribed authority under sub-section (2) of section 143 shall be an income-tax authority not below the rank of an Income-tax Officer who has been authorised by the Central Board of Direct Taxes to act as income-tax authority for the purposes of sub-section (2) of section 143.”

[Notification No. 105 /2016/F. No. 142/8/2014-TPL]

Dr. T. S. MAPWAL, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide Notification S.O. 969(E), dated 26th March, 1962 and last amended *vide* Notification G.S.R. 1068(E), dated 15th November, 2016.